संख्या– 196/अड़सठ–3–2020–2041/2018

प्रेषक,

आर0 वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 29 जून, 2020

विषय–अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018, दिनांक–11.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

2– इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक–11.01.2019 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018, दिनांक–11.01.2019 के विषय में अंकित "सहायता प्राप्त" शब्द युग्म को "प्राथमिक एवं" शब्द युग्म से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) शासनादेश दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर–2(I) (17) (क) में यह व्यवस्था है कि विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने पर ही मान्यता के लिए विचार किया जा सकता है। इस प्राविधान के कारण अनेक विद्यालयों को, जिनके पास निजी भवन/भूमि नहीं है, मान्यता प्रदान किये जाने में कठिनाई महसूस की जा रही है। इसके निराकरण हेतु शासनादेश सं0–89/अरसठ–3–2018–2041/2018, दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर– 2(I) (17) (क) के वर्तमान प्राविधानों को तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया जाता हैः–

"**(क)** भवन– विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा निजी भवन न होने की स्थिति में न्यूनतम 25 वर्ष की लीज पर ली गयी भूमि अथवा भवन होने पर ही मान्यता के लिए विचार किया जायेगा। प्रश्नगत प्रयोजनार्थ लीज पर ली गई भूमि विवाद रहित होनी चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में लीज पर लिया गया भवन असुरक्षित एवं जर्जर स्थिति में नहीं होना चाहिए एवं पठन–पाठन के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होना चाहिए। स्थानीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत या विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत मान्यता के लिए उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जहां पर महा योजना/सेक्टर प्लान में भू–उपयोग विद्यालय के नाम अंकित होगा। विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य होगा।"

(3) शासनादेश दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर–2(I), जो अशासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (नवीन) की मान्यता हेतु मानक एवं शर्तो से संबंधित है, में अंकित बिन्दु–(30) के पश्चात निम्नलिखित बिन्दु–(31) तथा (32) बढ़ाया जाता हैः–

"(31)– विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा अन्य समस्त सदस्यों द्वारा अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड अथवा वोटर आई0डी0 विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।"

"(32)– संबंधित विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार यू–डायस + से संबंधित सूचनायें/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।"

Scanned with CamScanner

(4) शासनादेश दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर–2(II), जो पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के मानक एवं शर्तो से संबंधित है, के उप प्रस्तर–5 के पश्चात उप प्रस्तर–6, उप प्रस्तर–7 तथा उप प्रस्तर–8 निम्नवत बढ़ाया जाता है:–

उप प्रस्तर–6 "यदि पूर्व से संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय के भवन जर्जर अवस्था में हों, जिसके फलस्वरूप बच्चों के जान–माल का खतरा हो, तो वहां के प्रबन्धतंत्र एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अविलम्ब किसी अन्य निकटवर्ती विद्यालय/विद्यालयों में स्थानान्तरित कर दिया जाय ताकि बच्चों के पठन–पाठन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना भी न रहे। इस संबंध में संबंधित संस्था को विद्यालय भवन को ठीक कराने हेतु 06 माह की समय–सीमा निर्धारित करते हुए नोटिस दी जायेगी और यदि नोटिस में दी गयी अवधि के अन्तर्गत जर्जर/असुरक्षित विद्यालय भवन को प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रयोज्य नहीं बनाया जाता है तो संबंधित संस्था की मान्यता के प्रत्याहरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।"

उप प्रस्तर–7 "विद्यालय प्रबन्धतंत्र का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक दो वर्ष की अवधि के उपरान्त संबंधित विद्यालय/शैक्षणिक संस्था में स्थापित अग्नि सुरक्षा संबंधी सुरक्षा उपायों के पर्याप्त, अद्यावधिक एवं क्रियाशील होने और भवन के पठन–पाठन हेतु उपयुक्त एवं जर्जर न होने के सम्बन्ध में सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों से प्रमाणपत्र प्राप्त करके संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्तानुसार प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तर्गत प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में संबंधित विद्यालय/शैक्षणिक संस्था की मान्यता प्रत्याहरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।"

उप प्रस्तर–8 "जो विद्यालय/संस्था पूर्व से किराये के भवन में संचालित है तथा मान्यता विषयक अन्य समस्त मानकों/प्रतिबन्धों को पूर्ण करते हैं वे यथावत् संचालित रहेंगे बशर्ते उनके द्वारा भवन स्वामी के साथ एतद्विषयक एग्रीमेन्ट प्रपत्र हस्ताक्षरित कर दिया गया हो जिसमें किरायेदारी से संबंधित समस्त शर्ते/प्रतिबन्ध सुस्पष्ट रूप से विहित हों।"

(5) शासनादेश दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर–2(III), जो मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने हेतु समय–सारिणी लागू किये जाने से संबंधित है, में अंकित 'नोट' के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दु–(1) एवं (2) बढ़ाया जाता है:–

"(1) मान्यता हेतु लम्बित आवेदनों के निस्तारण हेतु आवश्यकता होने पर मान्यता समिति द्वारा मासिक बैठक के अतिरिक्त विशेष बैठक भी आहूत की जा सकती है। जनपदीय समिति द्वारा उक्तानुसार निर्धारित समय–सारिणी का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।"

"(2) विद्यालय को मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के समय विद्यालय भवन के फोटोग्राफ्स भी लिये जायेगे और अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न किये जायेंगे।"

3– अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों को मान्यता प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक–11.01.2019 द्वारा प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क रू0–10,000/–तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु रू–15,000/– की धनराशि जनपद के राजकीय कोषागार में संगत लेखा शीर्षक में जमा किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक–11 जनवरी, 2019 में "सुरक्षित कोष" के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0–1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0–1,50,000(रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) की एन0एस0सी0/एफ0डी0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्लेज्ड किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। इस संबंध में शासनादेश दिनांक–11.01.2019 के प्रस्तर–2(I) के बिन्दु (19) तथा (20) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

Scanned with CamScanner

"(19)– आवेदन शुल्कः– प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क रू0–5,000/– तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए रू0–10,000/–सम्बन्धित जनपद के राजकीय कोषागार में संगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।"

"(20)– सुरक्षित कोषः– प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु सुरक्षित कोष के रूप में रू0–25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की एन0एस0सी0/एफ0डी0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम से प्लेज्ड होगी।"

4– शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041, दिनांक–11.01.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक–11.01.2019 की अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

5– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त नियमों से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुए भविष्य में इन नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान किये जाने अथवा अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु उन्हें निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0 वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर मुख्य सचिव/प्रमख सचिव, वित्त विभाग/कार्मिक विभाग/न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5–महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
6–राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
7–निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ।
8–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9–निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
10–निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0।
11–सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
12–अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, प्रयागराज।
13–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)।
14–समस्त प्राचार्य/उप प्राचार्य, डायट, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
15–समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
16–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)।
17–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
18–गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner